कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद, (म.प्र.)
परिपत्र

क्रमांक 929/दो–12–2/85 **होशंगाबाद, दिनांक 14.08.2020**

प्रति,

(1) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद
(2) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, होशंगाबाद
(3) समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण होशंगाबाद/इटारसी/पिपरिया/सोहागपुर/सिवनीमालवा जिला होशंगाबाद

विषय :– स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त 2020 को न्यायालय परिसर में ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न करने के संबंध में।

संदर्भः– (1)माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर का ई–मेल ज्ञापन कमांक बी/2996 जबलपुर, दिनांक 14.08.2020
(2)इस कार्यालय का परिपत्र कमांक 906/दो–12–2/85 होशंगाबाद, दिनांक 11.08.2020

—0—

विषयानुसार कोविड–19 के संक्रमण से बचने के लिए शासन एवं उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के पालन में इस कार्यलय के द्वारा जारी परिपत्र कमांक 906/दो–12–2/85 होशंगाबाद, दिनांक 11.08.20 में **निम्नांकित आंशिक संशोधन कर** इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त 2020 दिन शनिवार को केवल ध्वजारोहण व राष्ट्रीय गान कार्यक्रम सोशल डिस्डेसिंग के साथ संपन्न किये जाने का कार्यक्रम निम्नानुसार **पुनरीक्षित** किया जाता है :–

उक्त परिपेक्ष्य में जिले के समस्त प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 14 एवं 15 अगस्त 2020 की रात में न्यायालय भवन पर रोशनी का प्रबंध कराते हुये दिनांक 15 अगस्त 2020 को प्रातः 8.00 बजे न्यायालय भवन पर ध्वजारोहण कार्यक्रम की समस्त आवश्यक तैयारियां इस प्रकार करायेंगे कि केवल सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों(प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सहित) एवं अभिभाषक संघ के पदाधिकारीगण तथा कर्मचारियों के पदाधिकारीगण के अलावा गार्ड ऑफ ऑर्नर की उपस्थित में ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न किये जाने को राष्ट्रीय ध्वज के सामने एक–एक मीटर दूरी पर सफेद खड़िया से गोले के निशान बनवायें जावे।

अतः जिला मुख्यालय होशंगाबाद में पदस्थ प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं अध्यक्ष अभिभाषक संघ तथा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अध्यक्ष से अपेक्षा है कि वे स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त 2020 को प्रातः 8.00 बजे ध्वजारोहण कार्यक्रम में **मास्क** लगाकर प्रातः 7.45 बजे उपस्थित होने के लिए सूचित कर सहभागिता करने का कष्ट करें।

(चन्द्रेश कुमार खरे)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद(म0प्र0)

पृ.क्र.   /दो–12–2/85   होशंगाबाद, दिनांक 14.08.2020
आदेशानुसार प्रतिलिपि :–

अध्यक्ष, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा होशंगाबाद की ओर पदाधिकारियों को ध्वजारोहण कार्यक्रम में सहभागिता के लिए सूचित करने हेतु प्रेषित।

14/08/20

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद(म.प्र.)